उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 09/2019

विजय कुमार सिंह बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
20/09/2019	–:: **आदेश** ::–	

अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–127/2012 डम्फर संख्या–JH-05U-2936 के स्वामी में दिनांक–31.12.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध उक्त अपील वाद दायर किया गया है। दिनांक–16.03.2019 को प्रविष्टि के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का बहस सुनने के उपरान्त वाद अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया तथा सुनवाई की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत् नहीं है। डम्फर संख्या–JH-05U-2936 में लदा कोयला से संबंधित कागजातों को नजर अन्दाज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। इन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए, अपील आवेदन स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया हैं।

सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा विधिवत् न्यायिक प्रक्रिया के तहत् आदेश पारित किया गया है। अधिसूचित वन क्षेत्र अर्न्तगत जप्त वाहन एवं उस पर लदा कोयला को जप्त किया गया है तथा रामगढ़ थाना काण्ड संख्या–273/2012, दिनांक–07.10.2012 दर्ज है। पुलिस विभाग के केस डायरी के साक्ष्य एवं वादी द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन उपरान्त पाया गया कि वाहन में लदा कोयला अधिसूचित वन भूमि क्षेत्र में पाया गया है। तत्पश्चात् जप्त वाहन एवं उस पर लदा 04 टन पोड़ा कोयला को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात की कार्रवाई की गई है। इन्होंने अपील आवेदन को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अभिलेख में संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि डम्फर संख्या–JH-05U-2936 में कोयला लदा हुआ पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा डम्फर में लदा कोयला से सम्बन्धित वैध कागजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे डम्फर में लदा कोयला संदिग्ध प्रतीत होता है। विधिवत् प्रक्रिया के तहत् नियमानुसार निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, असहमत होने का कोई आधार नहीं है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

246/विविध
12/03/2020

लेखापित एवं संशोधित

20/09/19

उपायुक्त,
रामगढ़।

20/09/19

उपायुक्त,
रामगढ़।